महत्वपूर्ण एवं खास

27 अप्रैल तक समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकान सहित मदिरा की होम डिलीवरी रहेंगी पूर्णतः बंद

रायगढ़ । वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 27 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर भीम सिंह ने उक्त अवधि में जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानें, सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट शॉप), भण्डारण भाण्डागार, एफ.एल.3 होटल बार एवं मदिरा की होम डिलीवरी को पूर्ण रूप से बंद करने हेतु आदेश जारी किया है।

कोविड-19 कार्य हेतु 15 सेट कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के निर्देश

रायगढ़ । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ ने शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय रायगढ़ एवं महिला आईटीआई महाविद्यालय रायगढ़ के प्राचार्य को कोविड-19 के कार्य हेतु चालू हालत में कम्प्यूटर 15 सेट प्रिंटर सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ को 21 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। ज्ञात है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्थलों पर सेम्पलिंग एवं टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है एवं इसी प्रकार कोविड-19 के पॉजिटिव व्यक्ति होम क्वारेंटाईन में उपचारार्थ है। जिसके लिये विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त कार्यों के डाटा एन्ट्री करने हेतु वृहद मात्रा में कम्प्यूटर सेट की आवश्यकता है।

दूसरे राज्य या जिले से ट्रेन से आने वाले यात्री 07 दिन के लिए किए जाएंगे क्वारेंटीन-कलेक्टर

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ट्रेन के माध्यम से दूसरे प्रदेश या राज्य के अन्य जिलों से रायगढ़ जिले के स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के पास यदि उस दिनांक के 72 घंटे के भीतर का कोविड आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट होने पर यात्री अपने गंतव्य पर जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी यात्रियों को 07 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा। इनमें से सिम्प्टोमैटिक यात्रियों का स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, पॉजिटिव आने पर उन्हें उपचार के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे भी 07 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन ने क्वारेंटीन सेंटर तैयार किये हैं। यात्री यदि पेड क्वारेंटीन लेना चाहेंगे तो उसकी भी सुविधा उन्हें मिलेगी।

राजधानी में बदला मौसम का मिजाज, तेज गरज-चमक के साथ हुई बारिश

रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राजधानी में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया हैं। इसके साथ ही शहर के अलग अलग हिस्सों में बारिश की खबर सामने आ रही है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट भी आई है। जिससे राजधानीवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम में परिवर्तन होने का असर दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में भी देखा गया है। जहां हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर समेत प्रदेश अलग अलग हिस्सों में बारिश की सम्भावना जताई है। इसके साथ ही विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी समेत पूरे प्रदेश में एक दो दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने की आसार है।

30 टन चोरी की सरिया से भरी ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, चक्रधरनगर पुलिस की कार्रवाई

फैक्ट्री से निकली 15 लाख कीमती 30 टन सरिया ट्रक समेत हुआ था गायब, आरोपी पूर्व में चोरी के मामले में कोतवाली, तमनार, कुनकुरी, सुंदरगढ़ में हुआ है चालान

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा दिनांक 19.04.2021 को पूंजीपथरा थानाक्षेत्र से ट्रक ड्रायवर को मय ट्रक में लोड 30 टन एम ब्लेड्स सहित गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जिसे आज दिनांक 20.04.2021 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी ट्रक ड्रायवर द्वारा नटवरपुर मां मणि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड चक्रधरनगर फैक्ट्री से दिनांक 17.04.2021 को ट्रक में 30 टन एम सरिया लोड़कर रायपुर के लिये निकला था जो रायपुर न जाकर लोहा को अवैध तरीके से बिक्री के लिये पूंजीपथरा में ग्राहक तलाश करते वक्त पकड़ा गया।

जानकारी के अनुसार दिनांक 18.04.2021 को घटना के संबंध में मां मणि फैक्ट्री के मैनेजर हरेंद्र प्रसाद पिता राम प्रयोजन राय उम्र 45 वर्ष निवासी रुक्मणि विहार थाना कोतवाली रायगढ़ द्वारा लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिसके अनुसार रायपुर उरला स्थित जय अंबे इस्पात प्राइवेट लिमिटेड एवं आर.एस. स्टील उद्योग को माल भेजने का ऑर्डर मिलने पर रायगढ़ भगवानपुर स्थित महामाया ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडर्स से संपर्क कर बात किए थे जिनके द्वारा ट्रक क्रमांक सी.जी. सीजी-13 एडी/3917 को रायपुर माल भेजने के लिए फैक्ट्री भेजे थे। ट्रक के फैक्ट्री आने पर ट्रक में आरएस उद्योग रायपुर के लिये 19.690 एम एमएम ब्लेड्स कीमती 9,53,788 रुपए एवं जय अंबे इस्पात प्राय. लिमि.उरला रायपुर के लिये 10.35 एम कीमती 5,13,581 रुपए कुल 30.040 एम एमएस ब्लेडस कीमती 14,67,369 रुपए का लोड़ किया गया जिसे दिनांक 17.04.2021 के दोपहर करीब 12:30 बजे ड्रायवर फैक्ट्री से लेकर निकला था। ट्रांसपोर्टर फैक्टरी में कॉल कर बताया कि माल रायपुर नहीं पहुंचा है और ड्राइवर का मोबाईल बंद है। मैनेजर के लिखित आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में वाहन चालक एवं ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध धारा 407, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक अभिनवकांत सिंह द्वारा थाने से अलग-अलग टीमें ट्रक एवं ट्रक ड्रायवर की पतासाजी के लिये रवाना किये। इसी दरम्यान टीआई चक्रधरनगर को मुखबिर से एक व्यक्ति द्वारा पूंजीपथरा के पास लोहा बिक्री के लिये ग्राहक तलाश करने की सूचना दिये जाने पर टीआई द्वारा थाने से स्टाफ पूंजीपथरा भेजे। स्टाफ द्वारा पूंजीपथरा-तमनार रोड़ आमाघाट के पास संदेही ट्रक ड्रायवर को पकड़े। ट्रक में अलग नंबर प्लेट लगा हुआ था। चक्रधरनगर स्टाफ द्वारा संदेही को हिरासत में लेकर ट्रक सहित थाना लाया गया। संदेही से पूछताछ करने पर अपना नाम राम सिंह सिदार पिता बरतराम सिदार उम्र 35 वर्ष निवासी बुडिया डिपापारा थाना तमनार बताया कड़ी पूछताछ में रामसिंह सिदार बताया कि वह ट्रक ड्राइवर है, पिछले साल नवंबर 2020 को प्रदीप कुमार यादव की ट्रक क्रमांक सीजी-14 एमएल/5370 को किराए में लिया था जिसे स्वयं चलाता था, पूर्व में खरसिया में इसी ट्रक चला रहा था जहां इसने अपने साथी ड्राइवर महेन्द्र तिवारी के जानकारी के बिना उसके ट्रक क्रमांक सीजी-13 एडी/3917 का रजिस्ट्रेशन कागजात की छायाप्रति रख लिया था। रामसिंह सिदार अपने कर्ज व ट्रक का किराया रूपये दे नहीं पाने के कारण उसने अपने ट्रक सीजी-14 एमएल/5370 के ऊपर पेंट कर सीजी-13 एडी/3917 लिख दिया। दिनांक 17.04.2021 को मां मणि फैक्ट्री पहुंचकर सीजी-13 एडी/3917 का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसे पहले से रखा था , दिखाकर फैक्ट्री से गाड़ी में माल रोड कराया और ड्राइवर रामसिंह फैक्टरी से महामाया ट्रांसपोर्ट के मुंशी से मोबाईल पर बात करा दिया कि ट्रांसपोर्ट से यही गाड़ी को भेंजे हैं। फैक्ट्री से निकलने के बाद पकड़ में नहीं आने का विचार कर ट्रांसपोर्टर जाकर बिल्टी बनाने का प्रयास किया। ट्रांसपोर्ट आफिस में जब वाहन के ओरिजिनल कागजात रामसिंह से मांगे तो पकड़े जाने के डर से रामसिंह सिदार वहां से भाग गया और लोहा बिक्री के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था जिसे चक्रधरनगर पुलिस पूरे माल समेत गिरफ्तार कर ली। आरोपी ड्रायविंग लायसेंस, गाड़ी के कागजात जप्त कर धोखाधड़ी के संबंध में धारा 420 भादवि जोड़ी गई है। आरोपी को दिनांक 19.04.2021 के रात्रि गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी को पूर्व थाना कोतवाली सुन्दरगढ़ (ओडिशा), थाना कुनकुरी(जशपुर), सिटी कोतवाली रायगढ़ एवं थाना तमनार द्वारा चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही की गई है।

बैंक सुबह 10 से दोपहर 01 बजे तक खुले रहेंगे

» मेडिकल प्रयोजन, एलपीजी गैस, पीडीएस, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन और श्रमिकों के भुगतान की अनुमति होगी

» आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी

» कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा रायगढ़ जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 14 से 27 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त अवधि के दौरान जिले के समस्त बैंक कार्यालयीन समय में केवल कार्यालयीन स्टाफ हेतु ए.टी.एम.में नकदी भरने के लिए खोले जा सकेंगे। आम आदमी के लिए प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा को विलोपित करते हुए उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक/शाखाएँ प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी।

उपरोक्त अवधि के दौरान ए.टी.एम. में नकदी भरने के अतिरिक्त मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, डीजल/ पेट्रोल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./ केरोसिन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेने-देन/ श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नही होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत् आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

रायगढ़ जिला 31 जुलाई तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

» सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नये नलकूप का नहीं किया जा सकेगा खनन

» कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण रायगढ़ जिले को 22 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत रायगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नही किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति लेनी होगी। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी भी अनुविभाग क्षेत्र के अंतर्गत नलकूप खनन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम)की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने समस्त प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

वैक्सीनेशन के लिए सभी का सहयोग जरूरी, कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली संगठन प्रमुखों की बैठक

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंगलवार की दोपहर शहर के सामाजिक संगठन प्रमुख की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने सभी संगठन प्रमुखों को शहर के 45 प्लस उम्र वालों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की बात कही। दोपहर तीन बजे से बैठक शुरू हुई। वर्चुअली आयोजित इस बैठक में शहर के समाजसेवी संगठन के करीब 25 सदस्य जुड़े थे।

इस दौरान कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही कारगर है। वर्तमान में देखा गया है कि 45 वर्ष उम्र से ज्यादा जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन लगाया है, ऐसे बहुत कम लोग कोरोना पॉजीटिव आ रहे हैं। कई पुलिस जवान, स्वास्थ्य कर्मी व फ्रंट लाइन कर्मी को वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ, लेकिन वे जल्द ही ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन से ही कोरोना से बचा जा सकता है। इससे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो कोरोना वायरस से लड़ने में सहायक होता है। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने कहा कि रायगढ़ अरबन यानी शहर क्षेत्र में करीब 9700 पात्र लोगों का कोरोना वैक्सिनेशन नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करने के लिए कलेक्टर सिंह ने समाजिक संगठन के पदाधिकारियों से अपील की। इस दौरान समाज सेवी संगठन के पदाधिकारियों से शहर में अपने आसपास गली-मोहल्ले व विभिन्न वार्ड में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता लाने और लोगों को प्रेरित करने की बात कही।

कलेक्टर सिंह ने इस दौरान सामाजिक संगठन के लोगों से सुझाव भी मांगा। इस दौरान दिहाड़ी करने वालों और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के सुझाव दिए गए, जिस पर सांझा चुल्हा के माध्यम से हर रोज भोजन पैकेट उपलब्ध कराने की बात कही गई। इसी तरह रोटरी क्लब ग्रेटर द्वारा 20 चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने, 01 मई से होने वाले वैक्सीनेशन के लिए तहसील स्तर पर वालिंटियर उपलब्ध कराने, दिव्य शक्ति फाउंडेशन के श्रीमती कविता बेरीवाल ने लाकडाउन के दौरान भिक्षुओं को भोजन उपलब्ध कराने सहित कई सुझाव समाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने दिए, जिसका कलेक्टर सिंह ने स्वागत किया। बैठक में कमिश्नर आशुतोष पाण्डेय, डिप्टी कमिश्नर सुतीक्षण यादव, द्रोपदी फाउंडेशन से सुशील रामदास अग्रवाल, रोटरी क्लब ग्रेटर दीपक डोरा, लायंस क्लब ऐश अग्रवाल, ऋषि वर्मा, अग्रवाल सेवा संघ मुकेश कलानोरिया, सांझा चूल्हा बजरंग अग्रवाल, जेसीआई पंकज अग्रवाल, अग्रवाल महिला सम्मेलन रीना बापोरिया, दिव्य शक्ति कविता बेरीवाल, निरंकारी क्लब, लायंस क्लब पायल अग्रवाल, लता डोरा, रोटरी क्लब लक्ष्मी अग्रवाल, पंचायती धर्मशाला गोपाल अग्रवाल, सुनील थवाईत, देवांगन समाज से जगदीश मेहर, आवेश, साहू समाज सहित अन्य समाजसेवी शामिल हुये।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले में कोरोना से निपटने मेडिकल संसाधन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में 404 आक्सीजनेटेड बेड उपलब्ध है, अगले कुछ दिनों में 200 आक्सीजनेटेड बेड की और व्यवस्था तैयार हो जाएगी।

कोविड टीकाकरण में रायगढ़ जिला राज्य में दूसरे पायदान पर

» 307559 लोगों का हुआ टीकाकरण

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों ये लिए निजी एवं सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। रायगढ़ जिले को 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीकाकरण कार्य हेतु प्रथम डोज के लिए 3 लाख 6 हजार 51 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसे 19 अप्रैल 2021 को प्राप्त करते हुये लक्ष्य से अधिक 3 लाख 7 हजार 559 टीकाकरण कर लिया गया है। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के टीकाकरण कार्य में रायगढ़ जिला राज्य में दूसरे पायदान पर है। वैक्सीनेशन के लिये कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे इसके लिये कलेक्टर सिंह लगातार वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा कर रहे है। 45 वर्ष से अधिक शेष बचे हुए हुए लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह ने कोरोना के खिलाफ अभियान में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों की सराहना की। इसके साथ आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीकाकरण के लिये व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है।

एसपी आफिस पहुंचे जरूरतमंदों को एसपी ने बंटवाए फूड पैकेट

» 5 दिनों में हेल्प डेस्क से 4500 से अधिक व्यक्तियों को की गई फूड पैकेट की मदद

रायगढ़। दिनांक 15.04.2021 से प्रारंभ किए गए पुलिस हेल्प डेस्क को फूड पैकेट्स में मदद के लिये लगातार कॉल आ रहें है, साथ ही प्रतिदिन कई जरूरतमंद सीधे एसपी आफिस पहुंच रहे हैं। आज सुबह भी कई जरूरतमंद व्यक्ति आफिस पहुंचे थे, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा कार्यालय से पुलिस हेल्प डेस्क की टीम को फूड पैकेट लेकर आफिस बुलवाये और अपने स्टाफ के हाथों उनमें फूड पैकेट का वितरण कराये। पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें पुलिस हेल्प डेस्क के नम्बर 94791-93208 में कॉल करने पर हेल्प डेस्क की टीम घर तक फूड पैकट छोड़ेगी बताये।

पुलिस हेल्प डेस्क के नोडल अधिकारी डीएसपी सतीश भार्गव बताये के हेल्प डेस्क को फूड पैकट के अलावा और भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कॉल प्राप्त हो रहे हैं जिनका यथासंभव निराकरण किया जा रहा है। वे बताए कि 15 अप्रैल से आज दिनांक तक 2064 पैकेट ड्राई राशन तथा 2555 पैकेट पके हुए खाने का वितरण जरूरतमंदों में हेल्प डेस्क की टीम द्वारा की गई है। इसके साथ ही थाना, चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में भी जरूरतमंदों में फूड पैकेट आदि आवश्यक वस्तुएं का वितरण किया जा रहा है। पिछले दिनों से पुलिस हेल्प डेस्क में नगर निगम रायगढ़ क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं, किराना दुकान खुले होने के संबंध में जानकारी लेने भी लोग लगातार कॉल कर रहे हैं जिन्हें जानकारी दी जा रही है।

वे बताएं कि पुलिस हेल्प डेस्क में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कॉल आ रहे हैं, जिसे डॉयल 112 को फारवर्ड किया जाता है, डॉयल 112 के व्यवस्त रहने पर 10 कॉल पर पुलिस हेल्प डेस्क की टीम मौके पर जाकर लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड कराई है।

कोविड प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यों में बढ़ाएं जा रहे हैं मैन पावर, कोविड की रोकथाम के लिए हर मोर्चे पर करना है पूरे समर्पण से काम: कलेक्टर सिंह

» होम आइसोलेटेड मरीजों के घर के बाहर पेंट से बनाये जाएंगे निशान

रायगढ़ । कोविड के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण के लिये सभी मोर्चो पर पूरी गंभीरता व समर्पण से कार्य करना है। बात चाहे सैंपलिंग-टेस्टिंग, कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशेन का मैनेजमेंट, मरीजों का फालोअप, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना, समय से दवाईयां उपलब्ध कराना हो सभी एरियाज में पूरी तेजी से काम होना है। इसके लिये मैन पावर की संख्या जरूरत अनुसार तत्काल बढ़ायी जा रही है। अन्य विभागों के कर्मचारियों को कोविड मैनेजमेंट के इन सारे कामों के सुचारू संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ तत्काल संलग्न करें। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने समय-सीमा की बैठक के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों से कही।

कलेक्टर सिंह ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रबंधन की तैयारियों की बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होंने होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों का नियमित फालोअप कर हेल्थ अपडेट लेने के निर्देश दिये। इसके लिये उन्होंने मैन पावर को तत्काल बढ़ाते हुये शिक्षा, श्रम, उद्योग, आदिवासी विकास विभाग सहित अन्य विभागों से कर्मचारी, 40 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व कम्प्यूटर सेट लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम को बड़ी जगह पर शिफ्ट करने के लिये कहा। होम आईसोलेशन सहित एक्टिव सर्विलांस व टीकाकरण में अलग-अलग डेटिकेटेड टीम तैनात करने के लिये कहा। कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिये सभी ब्लाकों के साथ रायगढ़ शहरी क्षेत्र में भी टीम बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी एसडीएम तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के समुचित प्रबंधन करने के निर्देश दिये। होम आईसोलेटेड मरीजों के घर के बाहर चिपकाने वाले स्टिकर को फाड़ने की घटनायें सामने आने पर अब घरों के बाहर लाल स्टेंसिल पेंट लगाने के निर्देश दिये। जिससे लोगों को व्यक्ति के होम आईसोलेशन में होने की जानकारी मिल सके। उन्होंने होम आईसोलेटेड मरीज के प्रायमरी कांटेक्ट की जल्द टेस्टिंग करने के निर्देश दिये। इसके लिये शहर में मोबाईल टीम बढ़ाने के लिये कहा।

उन्होंने सैंपलिंग के लिये टेक्नीशियन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये। जिसके लिये उद्योगों द्वारा संचालित लैब से टेक्नीशियन्स को भी संलग्न करने के लिये कहा। साथ ही उद्योगों द्वारा अस्पतालों व डॉक्टर्स की ड्यूटी कोविड अस्पतालों में लगाने के लिए भी निर्देशित किया। रेलवे स्टेशन में आने वाले सिम्पटोमेटिक यात्रियों की तत्काल एन्टीजन जांच करने के निर्देश दिये। एसम्पिटोमेटिक मरीजों को क्वारेंटीन सेंटर भेजने के लिये कहा। उन्होंने प्रशासन द्वारा तैयार किये क्वारेंटीन सेंटर्स के साथ पेड क्वारेंटीन बनाने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिये। प्रशासन द्वारा तैयार किये गये क्वारेंटीन सेंटर में गद्दे, बेड, पेयजल, बिजली, पंखा, शौचालय सभी व्यवस्थायें दुरूस्त रखने के निर्देश सभी सीईओ जनपदों को दिये।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480